न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– राजवीर सिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

अपील संख्याः 121 / /2015

गिरधारी पुत्र नानूराम जाति नायक साकिन सोमासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

राजस्थान सरकार

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री शिशपाल शर्मा
2. पैरोकार राज.

निर्णय दिनांकः 24.07.2019

1. यह अपील बहुकम तहसीलदार राजस्व सूरतगढ के निणर्य दिनांक 22.9.15 प्र.स. 107 / 2015 के विरूद्ध इस न्यायायल मे प्रस्तुत की गई। अपील में सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि मातहत न्यायालय द्वारा अपीलांट को अपीलाधीन आदेश में रोही सोमासर के खसरा न. 28 में 35.00 बीघा भूमि पर अतिक्रमी घोषित करते काश्त फसल नष्ट करते हुए 203 /–तावान व तीन माह सिविल कारावास से दण्डित करने पर उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट का रोही सोमासर के खसरा न. 28 में 35.00 बीघा टी.सी. आवंटन थी बरवक्त पुख्ता आवंटन इस रकबा में से 25.00 बीघा रकबा हो गया व शेष 10.00 बीघा रकबा सरपलस हो गया जिस पर आज भी अपीलांट का कब्जा काश्त है व उक्त रकबा पूर्व में कॉलोनी ऐरिया में था वर्तमान में यह रकबा सन्2007–08 में उपनिवेशन क्षेत्र से मुक्त हो गया है तथा प्रार्थी इसकी तमाम रकबा की खातेदारी प्राप्त करने का हकदार है। प्रार्थी के टी.सी. से पुख्ता आवंटित रकबा से चिपता रोही सोमासर के खसरा न. 121 / 24 में रकबा आराजीराज है जिसका प्रार्थी के खिलाफ मातहत न्यायालय ने प्रार्थी के पीठ के पीछे कब्जा दिखाकर प्रार्थी को बिना कोई नोटिस दिये व बिना नोटिस के तामिल के एक तरफा कार्यवाही करके खसरा न 121 / 24 के 2.024 है0 रकबा नाजायज कब्जा दिखाकर अपीलांट को तीन माह की सजा कर दी व गिरफ्तारी वारण्ट जारी कर दिये है तथा खडी फसल निलाम करने के आदेश दे दिये है। अपीलांट को रोही सोमासर के खसरा न. 28 में पिछले 40 वर्षो से टी.सी. आवंटित रकबा है तथा अपीलांट को पटवारी हल्का ने आवंटन के समय जिस स्थान पर कब्जा दिया था उसी स्थान पर आज भी प्रार्थी का कब्जा काश्त है तथा इसी रकबा को प्रार्थी ने सुधार कर काबिल काश्त किया है तथा मौका पर बंजड तोड कर कृषि योग्य बनाया है। प्रार्थी खसरा न. 28 के कुल 35.00 बीघा की खातेदारी प्राप्त करने का हकदार है परन्तु मातहत न्यायानलय ने तो बिना किसी सीमा ज्ञान व बिना किसी निशानदेही व बिना किसी जांच के मात्र वर्तमान पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के अपने खुद के रकबा की काश्त को नाजायज काश्त मानकर जैर अपील आदेश

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

पारित किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्त किया जावे व अपील स्वीकार की जावे।

2. उक्तानुसार प्रार्थना पत्र अपील 107/15 पर दर्ज की जाकर रिकॉर्ड [illegible] तलब किया गया। अपीलांट की ओर से श्री अधिवक्ता श्री [illegible] शर्मा उपस्थित हुए एवं राजपैराकार उपस्थित आए। बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया मातहत अदालत ने अपीलांट को सुने बिना ही अपनी कार्यवाही का प्रारम्भ कर लिया एवं एक साथ तीन तीन सजाएं सुना दी। मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही समस्त कार्यवाही की गई है। उक्त रिपोर्ट भी नियमविरुद्ध की गई है। [illegible] भूमि का मौका जांच भी नहीं की गई, व न ही पटवारी के बयान लिये गये। उक्त तमाम कार्यवाही नियम विरुद्ध की गई है, क्योंकि धारा 22 कानून एक्ट 1954 में फैसला पारित करने से पूर्व फसल उठाने व सुनने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। एक साथ तीन तीन सजाएं नहीं दी जा सकती न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का फैसला गलत है। अपीलांट को रोही सामासर के खसरा नं. 28 में पिछले 40 वर्षों से सी. आवंटित रकबा है तथा अपीलांट को पटवारी हल्का ने आवंटन के समय जिस स्थान पर कब्जा दिया था उसी स्थान पर आज भी प्रार्थी का कब्जा काश्त है तथा इसी रकबा को प्रार्थी ने सुधार कर काबिल काश्त किया है तथा मौका पर खड्डे गड्डे को कृषि योग्य बनाया है। प्रार्थी खसरा नं. 28 के कुल 35.00 बीघा की खातेदारी प्राप्त करने का हकदार है परन्तु मातहत न्यायानलय ने तो बिना किसी सीमा ज्ञान व बिना किसी निशानदेही व बिना किसी जांच के मात्र वर्तमान पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के अपने खुद के रकबा की काश्त को नाजायज काश्त मानकर जेर अपील आदेश पारित किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्त किया जावे व अपील स्वीकार की जावे।

3. राज पैराकार ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलांट ने राजकीय भूमि पर नाजायज काश्त कर अतिक्रमण किया है रिपोर्ट पटवारी सही है। अपीलांट के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन मनन चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया, अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है व प्रकरण में तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ को इस आशय के साथ रिमाण्ड की जाती है कि प्रकरण में पुनः सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए नियमानुसार निर्णय पारित करें, निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अतिरिक्त सूरतगढ़ कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner